न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/02/2024	10–01–2024	06–03–2024

1- Can Fin Homes Ltd., Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari 123401 Haryana Through Its Authorized Officer

प्रार्थी

बनाम

1- Bhagwati Devi W/O Jagdish Kumar
2- Jagdish Kumar S/O Dhani Ram Kumar
All Are Resident Of-
01- H.No. 147, Hussani House Veer Bazar Wali Gali Mukandpur, Delhi-110042
02- Flat No. A-1401, 14th Floor Krish Icon, Vill-Tatarpur, Tehsil-Tapukada, Bhiwadi, Khairthal-Tijara-301019

अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Can Fin Homes Ltd., Above Ujjiwan Small Finance Bank, Circular Road, Rewari 123401 (Haryana) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को को 14,80,000/– रूपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति 01 BHK Flat No. A-1401 14th Floor Krish Icon, Vill- Tatarpur, तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 00480 Dated 16-01-2019 Registered With Sub Ragistrar Bhiwadi जिला खैरथल–तिजारा अन्तर्गत स्वामित्व जगदीश कुमार पुत्र धनी राम कुमार एवं भगतवी देवी पत्नी जगदीश कुमार, प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 30.08.2023 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को दिनाक 29.08.2023 को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति 01 BHK Flat No. A-1401 14th Floor Krish Icon, Vill- Tatarpur, तहसील टपूकडा, Vide Sale

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राज0)

Deed No. 00480 Dated 16-01-2019 Registered With Sub Ragistrar Bhiwadi जिला खैरथल–तिजारा, का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 30.08.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि बकाया **15,70,175/-** रूपये एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति 01 BHK Flat No. A-1401 14th Floor Krish Icon, Vill- Tatarpur, तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 00480 Dated 16-01-2019 Registered With Sub Ragistrar Bhiwadi जिला खैरथल–तिजारा, का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति 01 BHK Flat No. A-1401 14th Floor Krish Icon, Vill- Tatarpur, तहसील टपूकडा, Vide Sale Deed No. 00480 Dated 16-01-2019 Registered With Sub Ragistrar Bhiwadi जिला खैरथल–तिजारा, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06–03–2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा